न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारी:— श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 126 / 2022

वादी :—	बनाम	प्रतिवादी :—
1. मदरूपराम पुत्र ओगड़राम जाति देवासी, नि0 बागावास, तह0 सोजत, जिला पाली राजस्थान।		1. सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली राजस्थान

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1956

उपस्थिति:—

1. श्री कैलाश दवे अधिवक्ता वादी उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत प्रतिवादी स्वयं उपस्थित।

दिनांक — 05/12/22

—: निर्णय :—

अधिवक्ता मय वादीगण ने राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1956 के तहत विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन है कि सरहद मुझ वादी की खातेदारी कृषि भूमि सरहद मौजा बागावास तह0 सोजत जि0 पाली के वर्तमान खाता संख्या 538 पुराना खाता संख्या 524 के खसरा नंबर 388 कुल रकबा 1.7200 है0 उक्त कृषि भूमि मुझ वादी का सम्पूर्ण हक हिस्सा मेरी खातेदारी व कब्जा काश्त आया हुआ स्थित है जिसमें मेरा नाम मदिया पुत्र ओगड़ जाति रेबारी दर्ज है। वादस्थ कृषि भूमि मुझ वादी के पिता ओगड़राम की खातेदारी कृषि भूमि थी। जिनके देहान्त के बाद ओगड़राम के उतराधिकारी/वारिसान का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया गया जिस समय मुझ वादी का घरेलु नाम मदिया पुत्र ओगड जाति रेबारी दर्ज कर दिया गया है जबकि वादी का वास्तविक नाम मदरूपराम पुत्र ओगड़राम जाति देवासी है। मुझ वादी के परिवार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड इत्यादि दस्तावेजात में मेरा नाम मदरूपराम पुत्र ओगड़राम जाति देवासी दर्ज है। मुझ वादी द्वारा अपनी खातेदारी कृषि भूमि पर ऋण लेने हेतु राजस्व रेकर्ड की नकले दिनांक 27.7.2022 को प्राप्त करने पर मुझ वादी को सर्वप्रथम जानकारी हुई कि वादस्थ कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में मुझ वादी का घरेलु नाम मदिया पुत्र ओगड़राम जाति रेबारी दर्ज है जबकि वादी का नाम मदरूपराम पुत्र ओगड़राम जाति देवासी है। इस प्रकार वाद प्रस्तुत कर सरहद मौजा बागावास तह0 सोजत जि0 पाली के वर्तमान खाता संख्या 538 पुराना खाता संख्या 524 के खसरा नंबर 388 कुल रकबा 1.7200 है0 के राजस्व रेकर्ड में दुरस्ती कर वादी का नाम मदिया पुत्र ओगड़राम जाति रेबारी के स्थान पर मदरूपराम पुत्र ओगड़राम जाति देवासी के नाम से पुनः रेकर्ड दुरूस्त करवा कर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किये जाने की ईश्तदुआ की है।

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत

राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी जरिए सम्मन वास्ते जबाब दावा तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार, सोजत ने जबाब दावा दिनांक 5.12.2022 को पेश कर अंकित किया कि पैरा संख्या 01 में विवेचित कृषि भूमि सरहद मौजा बागावास में स्थित है। पैरा संख्या 2 से 5 स्वयं सिद्ध करना व पैरा संख्या 6 से 9 कानूनी होना बताया है।

बहस अधिवक्ता वादी तथा प्रतिवादी तहसीलदार सोजत सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने बहस के दौरान व्यक्त किया कि वादस्थ कृषि भूमि में मेरा नाम मदिया पुत्र ओगड़ जाति रेबारी दर्ज है। वादस्थ कृषि भूमि मुझ वादी के पिता ओगड़राम की खातेदारी कृषि भूमि थी। जिनके देहान्त के बाद ओगड़राम के उताधिकारी/वारिसान का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया गया जिस समय मुझ वादी का घरेलु नाम मदिया पुत्र ओगड जाति रेबारी दर्ज कर दिया गया है जबकि वादी का वास्तविक नाम मदरूपराम पुत्र ओगड़राम जाति देवासी है। मुझ वादी के परिवार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड इत्यादि दस्तावेजात में मेरा नाम मदरूपराम पुत्र ओगड़राम जाति देवासी दर्ज है। इस कारण सरहद मौजा बागावास तह0 सोजत जि0 पाली के वर्तमान खाता संख्या 538 पुराना खाता संख्या 524 के खसरा नंबर 388 कुल रकबा 1.7200 है0 के राजस्व रेकर्ड में दुरस्ती कर वादी का नाम मदिया पुत्र ओगड़राम जाति रेबारी के स्थान पर मदरूपराम पुत्र ओगड़राम जाति देवासी करवाने की ईश्तदुआ की है। प्रतिवादी तहसीलदार, सोजत ने भी वाद पत्र में वर्णित तथ्यों की संपुष्टि हो जाने से कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र मय शपथ पत्र, दस्तावेजात मतदाता पहचान पत्र, जनआधार कार्ड, आधार कार्ड, परिवार कार्ड, बैंक पासबुक वादस्थ भूमि के खसरा 388 की जमाबंदी सम्वत् 2074–77, आदि पेश किये का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया तथा बहस अधिवक्ता वादी तथा प्रतिवादी तहसीलदार सोजत पर गौर कर मनन किया गया। वादस्थ भूमि में वादी का नाम मदिया पुत्र ओगड दर्ज है। वादी अपना नाम समानजनक रूप से मदरूपराम पुत्र ओगडराम व जाती रेबारी के स्थान पर देवासी करवाना चाहता है जो विधि सम्मत है। वस्तुतः अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत वादी के वादपत्र में वर्णित तथ्यों की शपथ पत्रों से संपुष्टि होने से स्वीकार किया जाना तथा उक्त वर्णित कृषि भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम मदिया पुत्र ओगड़राम जाति रेबारी के स्थान पर मदरूपराम पुत्र ओगड़राम जाति देवासी दुरूस्त दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेशित किया जाना उचित समझते है।

–: **आदेश** :–

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर सादिर की जाती है कि सरहद मौजा बागावास तह0 सोजत

जि0 पाली के वर्तमान खाता संख्या 538 पुराना खाता संख्या 524 के खसरा नंबर 388 कुल रकबा 1.7200 है0 के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम मदिया पुत्र ओगड़राम जाति रेबारी के स्थान पर मदरूपराम पुत्र ओगड़राम जाति देवासी दुरूस्त दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिब किया जाकर पत्रावली बद्ध किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, पाली (राज.)

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 05/12/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)